रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032020-218849 CG-DL-E-21032020-218849

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 21, 2020/चैत्र 1, 1941

No. 166]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 21, 2020/CHAITRA 1, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2020

सं. 10/2020-केंद्रीय कर

सा.का.िन. 193(अ).—सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उन व्यक्तियों को, जिनके कारबार का मूल स्थान या कारबार का स्थान 26 जनवरी, 2020 तक तत्कालीन संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव या तत्कालीन संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली था; और 27 जनवरी, 2020 के बाद से दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में विलीन हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग, उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे यथा उल्लिखित 31 मई, 2020 तक (इसे इसमें इसके पश्चात् संक्रमण तारीख कहा गया है) निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे।

- 2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, -
 - (i) जनवरी, 2020 और फरवरी, 2020 माह के लिए उक्त अधिनियम के किसी भी उपबंधों के उद्देश्यों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 2 के उपखंड (106) के अनुसार कर अवधि अभिनिश्चित करेंगे, जो निम्नानुसार है:-

(क) जनवरी, 2020 : 1 जनवरी, 2020 से 25 जनवरी, 2020;

(ख) फरवरी, 2020 : 26 जनवरी, 2020 से 29 फरवरी, 2020;

1576 GI/2020 (1)

- (ii) बीजकों या ऐसे अन्य दस्तावेजों में प्रभारित कर की विशिष्टियों का विचार किए बिना, उक्त अधिनियम की धारा 39 के अधीन विवरणी में समुचित लागू कर का संदाय 26 जनवरी, 2020 से संक्रमण तारीख तक किया जाएगा;
- (iii) जो 25 जनवरी, 2019 तक तत्कालिक संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव और तत्कालिक संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली में माल और सेवा कर पहचान संख्यांक (जीएसटीआईएन) में रजिस्ट्रीकृत हैं, उनको तत्कालीन संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव में रजिस्ट्रीकृत माल और सेवा कर पहचान संख्यांक (जीएसटीआईएन) जनवरी, 2020 के लिए विवरणी भरने के पश्चात् निवेश कर प्रत्यय (आईटीसी) का अतिशेष रजिस्ट्रीकृत माल और सेवा कर पहचान संख्यांक (जीएसटीआईएन) से नए संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव तथा दादरा और नागरा हवेली में नीचे दी गई निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अंतरण का विकल्प होगा:-
- (क) उक्त व्यक्तियों का वर्ग नए रजिस्ट्रीकरण को प्राप्त करने के एक मास के भीतर आईटीसी के अंतरण के संबंध में अंतरक और अंतरिती के अधिकारिता कर अधिकारी को सूचना देगा;
- (ख) संक्रमण तारीख के तुरंत पूर्व कर अवधि के लिए तत्कालीन संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव में विवरणी को भरने के बाद इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष के आधार पर निवेश कर प्रत्यय (आईटीसी) को अंतरित किया जाएगा:
- (ग) निवेश कर प्रत्यय (आईटीसी) का अंतरण, संक्रमण तारीख के तुरंत पूर्व कर अविध के लिए उक्त अधिनियम की धारा 39 के अधीन विवरणी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा और अंतरक जीएसटीआईएन प्ररूप जीएसटीआर-3ख के सारणी 4(ख) (2) में अपने इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता से उक्त निवेश कर प्रत्यय (आईटीसी) में जमा करेगा और अंतरिती जीएसटीआईएन प्ररूप जीएसटीआर-3ख के सारणी 4(क)(5) में अपने इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता में निवेश कर प्रत्यय (आईटीसी) के बराबर रकम जमा करेगा।
- 3. उक्त व्यक्तियों के वर्ग इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में संघ राज्यक्षेत्र करों का अतिशेष इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता में संघ राज्यक्षेत्र कर के अतिशेष के रूप में अंतरित करेंगे, जिनके कारबार का मूल स्थान 25 जनवरी, 2020 की तारीख तक दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में आता है।

[फा. सं. 20/06/03/2020–जीएसटी] प्रमोद कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2020

No. 10/2020-Central Tax

G.S.R. 193(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies those persons whose principal place of business or place of business was in the erstwhile Union territory of Daman and Diu or in the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli till the 26th day of January, 2020; and is in the merged Union territory of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli from the 27th day of January, 2020 onwards, as the class of persons who shall, except as respects things done or omitted to be done before the notification, follow the following special procedure till the 31st day of May, 2020 (hereinafter referred to as the transition date) as mentioned below.

- 2. The said registered person shall,-
 - (i) ascertain the tax period as per sub-clause (106) of section 2 of the said Act for the purposes of any of the provisions of the said Act for the month of January, 2020 and February, 2020 as below:-
 - (a) January, 2020: 1st January, 2020 to 25th January, 2020;
 - (b) February, 2020: 26th January, 2020 to 29th February, 2020;
 - (ii) irrespective of the particulars of tax charged in the invoices, or in other like documents, raised from the 26th January, 2020 till the transition date, pay the appropriate applicable tax in the return under section 39 of the said Act;
 - (iii) who have registered Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in the erstwhile Union territory of Daman and Diu and the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli till the 25th day of January, 2019 have an option to transfer the balance of input tax credit (ITC) after the filing of the return for January, 2020, from the registered Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in the erstwhile Union territory of Daman and Diu to the registered GSTIN in the new Union territory of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli by following the procedure as below:-
 - (a) the said class of persons shall intimate the jurisdictional tax officer of the transferor and the transferee regarding the transfer of ITC, within one month of obtaining new registration;
 - (b) the ITC shall be transferred on the basis of the balance in the electronic credit ledger upon filing of the return in the erstwhile Union territory of Daman and Diu, for the tax period immediately before the transition date;
 - (c) the transfer of ITC shall be carried out through the return under section 39 of the said Act for the tax period immediately before the transition date and the transferor GSTIN shall debit the said ITC from its electronic credit ledger in Table 4(B)(2) of **FORM GSTR-3B** and the transferee GSTIN shall credit the equal amount of ITC in its electronic credit ledger in Table 4(A)(5) of **FORM GSTR-3B**.
- 3. The balance of Union territory taxes in electronic credit ledger of the said class of persons, whose principal place of business lies in the Union territory of Daman and Diu, as on the 25th day of January, 2020, shall be transferred as balance of Union territory tax in the electronic credit ledger.

[F. No. 20/06/03/2020-GST] PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2020

सं. 11/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 194(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् तत्कालीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कहा गया है) को, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के उपबंधों के अधीन निगमित ऋणी हैं, जो निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जिनका कार्य प्रबंध, अंतरिम समाधान वृक्तिकों (आईआरपी) या समाधान वृक्तिकों (आरपी) द्वारा किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया पूरी होने तक वे नीचे यथाउल्लिखित अनुवर्ती विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।

2. रिजस्ट्रीकरण.- ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी रिजस्टर्ड थी, आई आर पी/ आर पी की नियुक्ति के तीस दिन के अंदर नया रिजस्ट्रीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् नया रिजस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा:

परंतु ऐसी दशा में, जहां आईआरपी/आरपी की इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व नियुक्ति की गई है वहां वह आई आर पी/ आर पी इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण कराएगा। जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

- 3. **विवरणी**.- ऐसे व्यक्तियों का उक्त वर्ग, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के पश्चात् उस तारीख से, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी हो गया है, से उस तारीख, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, तक उक्त अधिनियम की धारा 40क के अधीन पहली विवरणी फाइल करेगा।
- 4. **इनपुट का प्रत्यय.** (1) आईआरपी/आरपी की नियुक्ति से व्यक्तियों का उक्त वर्ग, उन बीजकों पर जो कि तत्कालीन जी एस टी आई एन पर माल व सेवाओं या दोनों की आपूर्ति प्राप्त की है, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन, के नियम 36 के उपनियम (4) के सिवाय, प्रस्तुत उसकी प्रथम विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय उपभोग करने का पात्र होगा।
- (2) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने, उक्त वर्ग से, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से उस अविध के लिए जो इस अधिसूचना में यथापेक्षित रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक या इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, इसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, भूतपूर्व रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के जी एस टी आई एन द्वारा जारी बीजकों पर आपूर्ति प्राप्त की है, उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, उक्त नियमों के नियम 36 के उपनियम (4) के उपबंधों के सिवाय, इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पात्र होगा।
- 5. इस अधिसूचना के निबंधनानुसार आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक विद्यमान रजिस्ट्रीकरण में आईआरपी/आरपी द्वारा रोकड़ खाता में निक्षेपित कोई रकम तत्कालीन रजिस्ट्रीकरण में प्रतिदाय के लिए उपलब्ध होगी।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "निगमित ऋणी", "निगमित दिवाला समाधान वृत्तिक" "अंतरिम समाधान वृत्तिक" और "समाधान वृत्तिक" के वहीं अर्थ होंगे, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में उनके हैं।

[फा. सं. 20/06/03/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2020

No. 11/2020-Central Tax

- **G.S.R. 194(E).**—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies those registered persons (hereinafter referred to as the erstwhile registered person), who are corporate debtors under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), undergoing the corporate insolvency resolution process and the management of whose affairs are being undertaken by interim resolution professionals (IRP) or resolution professionals (RP), as the class of persons who shall follow the following special procedure, from the date of the appointment of the IRP/RP till the period they undergo the corporate insolvency resolution process, as mentioned below.
- 2. **Registration.-** The said class of persons shall, with effect from the date of appointment of IRP / RP, be treated as a distinct person of the corporate debtor, and shall be liable to take a new registration

(hereinafter referred to as the new registration)in each of the States or Union territories where the corporate debtor was registered earlier, within thirty days of the appointment of the IRP/RP:

Provided that in cases where the IRP/RP has been appointed prior to the date of this notification, he shall take registration within thirty days from the commencement of this notification, with effect from date of his appointment as IRP/RP.

- 3. **Return.-** The said class of persons shall, after obtaining registration file the first return under section 40 of the said Act, from the date on which he becomes liable to registration till the date on which registration has been granted.
- 4. **Input tax credit.-**(1)The said class of persons shall, in his first return, be eligible to avail input tax credit on invoices covering the supplies of goods or services or both, received since his appointment as IRP/RP but bearing the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made thereunder, except the provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act and sub-rule (4) of rule 36 of the Central Goods and Service Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules).
- (2) Registered persons who are receiving supplies from the said class of persons shall, for the period from the date of appointment of IRP / RP till the date of registration as required in this notification or thirty days from the date of this notification, whichever is earlier, be eligible to avail input tax credit on invoices issued using the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made thereunder, except the provisions of sub-rule (4) of rule 36 of the said rules.
- (5) Any amount deposited in the cash ledger by the IRP/RP, in the existing registration, from the date of appointment of IRP/RP to the date of registration in terms of this notification shall be available for refund to the erstwhile registration.

Explanation.- For the purposes of this notification, the terms "corporate debtor", "corporate insolvency resolution professional", "interim resolution professional" and "resolution professional" shall have the same meaning as assigned to them in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016).

[F. No. 20/06/03/2020-GST] PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2020

सं. 12/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 195(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में, अधिसूचना सं. 21/2019-केंद्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 322 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु उक्त व्यक्तियों को, जो प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे से युक्त विवरण देने के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कर अविधयों के लिए केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी दिया है, ऐसे करदाता वित्तीय वर्ष 2019-2020 के सभी कर अविधयों के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1 में मालों या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति का विवरण या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के भुगतान के ब्यौरे से युक्त विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी।"

[फा. सं. 20/06/03/2020–जीएसटी]

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 21/2019 – केंद्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 322 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2020

No. 12/2020-Central Tax

G.S.R. 195(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2019- Central Tax, dated the 23rd April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 322(E), dated the 23rd April, 2019, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided that the said persons who have, instead of furnishing the statement containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** have furnished a return in **FORM GSTR-3B** under the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) for the tax periods in the financial year 2019-20, suchtaxpayers shall not be required to furnish the statement in outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** of the said rules or the statement containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** for all the tax periods in the financial year 2019-20."

[F. No. 20/06/03/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification number 21/2019—Central Tax, dated the 23rd April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 322(E), dated the 23rd April, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 21 मार्च. 2020

सं. 13/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 196(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 70/2019-केंद्रीय कर, तारीख 13 दिसम्बर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 926(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उन से भिन्न जो उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (4) और उपनियम (4क) में विनिर्दिष्ट हैं, को एक रजिस्ट्रीकृत वर्ग के व्यक्ति के रूप में अधिसूचित करती है, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रूपए से अधिक है, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की प्रदाय के संबंध में उक्त नियमों के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनानुसार बीजक और अन्य विहित दस्तावेज तैयार करेंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2020 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 20/06/03/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2020

No. 13/2020-Central Tax

G.S.R. 196(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017(hereinafter referred as said rules), the Government on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 70/2019 – Central Tax, dated the 13th December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 926 (E), dated the 13th December, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies registered person, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of the said rules, whose aggregate turnover in a financial year exceeds one hundred crore rupees, as a class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed documents, in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person.

2. This notification shall come into force from the 1st October, 2020.

[F. No. 20/06/03/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2020

सं. 14/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 197(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 928 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 72/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 13 दिसंबर, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिसूचित करती है कि यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), (3), (4) और (4क) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, की एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो तो उसके द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् बी2सी कहा गया है) को जारी बीजक पर गत्यात्मक त्वरित प्रत्युक्तर (क्यू आर) कोड होगा:

परंतु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर (क्यू आर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक तवरित प्रतिउत्तर में भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी2सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर रखने वाला समझा जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2020 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 20/06/03/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2020

No. 14/2020-Central Tax

G.S.R. 197(E).—In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Government, on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 72/2019 – Central Tax, dated the 13th December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 928(E), dated the 13th December, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies that an invoice issued by a registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of said rules, and registered person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice), shall have Dynamic Quick Response (OR) code:

Provided that where such registered person makes a Dynamic Quick Response (QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross-reference of the payment using a Dynamic Quick Response (QR) code, shall be deemed to be having Quick Response (QR) code.

2. This notification shall come into force from the 1st day of October, 2020.

[F. No. 20/06/03/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director